SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Hon. Member is right in saying that per worker production in our steel plants is less as compared to other countries. One of the reasons for this is, as the hon. Member said, employment of unskilled labour in the steel plants, and the second reason is more employment made in our steel plants. We are making all efforts to increase the productivity per man in the steel plants. VSP will be the test case If I speak from memory. —I hope my memory will not deceive me—maximum productivity in SAIL is about 69 or 71 tonnes per man per year. But in the VSP we are going to create more potential around the plant. Besides the productivity I think it in V.S.P. will be about 231 tonnes per man per year.

MR. CHAIRMAN: Next question.

दूरदर्शन पर अश्लीलता

*43. **श्री मोर्जा इर्शादबेग :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर अश्लीलता को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) क्या "हीट एंड डस्ट" नामक फिल्म को दूरदर्शन पर दिखाने से पहले इसकी जांच की गयी थी; और क्या इसे भारतीय दर्शकों को दिखाये जाने योग्य समझा गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रश्न के भाग (क) और (ख) का उत्तर क्रमश: निम्नलिखित :—

(क) दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किये जाने वाले सभी कार्यक्रमों को परिवारिक अवलोकन की दृष्टि से उपयुक्त बनाने और अश्लीलता आदि से दूर रखने के लिये संबंधित दूरदर्शन अधिकारियों द्वारा प्रिव्यू किया जाता है । दूरदर्शन में विभिन्न समितियां हैं जिनमें से बहुतों में गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल हैं जो टेलीकास्ट हेतु बाहरी व्यक्तियों द्वारा पेश की गयी फिल्मों और कार्यक्रमों का चयन करते हैं और उनका अनुमोदन करते हैं ।

(ख) जी हां । फिल्म को देर रात्रि भाग में टेलीकास्ट किया गया था जो कि वयस्क धारणाओं से युक्त फिल्म को दिखाने का समय होता है । फिल्म को टेलीकास्ट करने से पूर्व एक कैप्शन भी दिखाया गया था कि यह फिल्म 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के देखने के लिये उपयुक्त नहीं है ।

श्री मोर्जा इर्शादबेग : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के जवाब में यह कहा है कि पारिवारिक अवलोकन और अश्लीलता आदि से बचने की दृष्टि से टेलीकास्ट हेतु उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित दूरदर्शन अधिकारियों द्वारा प्रिव्यू किया जाता है और फिल्मों और कार्यक्रमों का यह चयन करते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं । मैं यह मानकर चलता हूं कि जो कुछ भी दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया जाता है जो भी कार्यक्रम हो या फिल्म उसका अनमोदन उनके द्वारा किया गया है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे यह बताने की कृपा करें क्योंकि मैं यह समझता हूं कि अश्लीलता के संबंध में हमारे मानदण्ड और पाश्चात्य संस्कृति के मानदण्ड दोनों भिन्न हैं, तो भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जो अश्लीलता के स्वरूप हैं, उसके अनुसार मानदण्ड या अश्लीलता के संबंध में आपके कार्यक्रम को टेलीकास्ट करने के संबंध में मानदण्ड क्या हैं ? यह बताने की कृपा करें ।

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Sir, the basic and fundamental safeguard against obscenity in the public exhibition of films is contained in the Central Board of Film Censors Regulations under which directions and guidelines have been stipulated under . the Cinematograph Act. Therefore, only such of the films as have been certified as worthy of public exhibition by the Central Board of Film Censors can be exhibited in the country, including through the medium of television. This takes care of obscenity under clause 4 of the guide-

linos. in addition, for the films selected by the Doordarshan the hon. Member's question relates to late night films — there is a selection •committee of officials as well as non-officials who look into the additional values, namely, international/national special award won, cinematic value entertainment value, suitability for viewing and year of production. Only after the film goes through these tests, it is recommended for telecast. I would like to inform the hon. Member that out of the 200 films offered for late night telecast, only about one-third i.e. 66 films were accepted by the Committee and more than two-third were rejected.

श्री सोजो इशोदबग : सभापति जी, मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि दूरदर्शन की जो समिति है या जिन अधिकारियों ने इस "हीट एंड डस्ट" फिल्म को टेलिकास्ट करने की अनुमति दी है वह दूरदर्शन की जो श्रृंगार रस की रसिक जनता है, उनको ध्यान में रखकर दी है। महोदय जो वयस्क टी. वी. के सामने ऐसे दृश्य देखते हैं, उनमें हमारी मां-बहिनें भी शामिल हैं। मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर ऐसी फिल्म को इंटरनेशनल एवार्ड मिला है तो वहां उनके मापदण्ड अलग हैं। जिस दिन इस फिल्म को दिखाया जा रहा था, उस समय मैंने अपने घर पर अपने टी. वी. के स्विच को बन्द कर दिया था क्योंकि मेरे साथ मेरी मां और बहिन बैठी हुई थीं। महोदय, अभी हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप "रामायण" टी. वी. सीरियल दिखाया जा रहा है और उसने बहुत लोकप्रियता भी प्राप्त की है लेकिन हम इस तरह के सीरियल का रिफार्म सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के सीरियल और ड्रामे हमारे यहां ज्यादा पापुलर हो रहे हैं। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि "हीट एंड डस्ट" जैसी फिल्म जिसमें कि संपूर्ण नग्न दृश्य दिखाए गए थे, ऐसी फिल्में भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं और इन फिल्मों का टेलिकास्ट बन्द किया जाना चाहिए। कई चलचित्र निर्माता हैं जिन्होंने कि बहुत अच्छी क्लासिक फिल्मों का भी निर्माण किया है और आपने उनको टेलिकास्ट भी किया है। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि मंत्री महोदय आश्वस्त करें कि आगे ऐसी फिल्मों को टेलिकास्ट नहीं किया जाएगा?

श्री जगतपाल सिंह ठाकुर : जिस कमेटी ने इसे पास किया है, उस कमेटी को आप हटाइये।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : चेयरमैन साहब, आनरेबल मेंबर ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उसको शेअर करता हूं। माननीय सदस्य ने "हीट एंड डस्ट" फिल्म का जो जिक्र किया है, जिससे कि उनकी भावना को ठेस पहुंची है, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं। मैंने तो "हीट एंड डस्ट" फिल्म देखी नहीं, मुझे मालूम नहीं कि उसमें कितनी हीट थी और कितनी डस्ट थी। लेकिन मैं माननीय सदस्य को और हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लोग ऐसी फिल्मों को चुनते हैं, उनसे मैं यह कहूंगा कि ऐसी चीज जोकि हमारी भारतीय संस्कृति की बुनियादी भावना के खिलाफ जाती है, चाहे उसको इंटरनेशनल एवार्ड ही क्यों न मिला हो, न दिखाया जाय। दरअसल जब यह फिल्म सिनेमा थिएटर में रिलीज की गयी तो इसकी अखबारों में बहुत प्रशंसा की गयी। महोदय, अब एक प्रश्न यह आता है कि यदि बाहर की फिल्मों को हम सेंसर करने लगें तो वे हमें फिल्म देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के बाहर नहीं जाएंगे। अगर ऐसी फिल्में होंगी तो उन पर रोक लगा देंगे। इन फिल्मों के टेलिकास्ट के लिए कुछ कमेटियां बनी हैं जिनमें कि कुछ नान-आफिसियल्स और एमीनेंट्स हैं। मैं ऐसी फिल्मों के बारे में पुर्नविचार कर रहा हूं। अभी माननीय सदस्य ने खुद भी कहा कि बहुत सी अच्छी फिल्में दिखायी गयी हैं। रामायण सीरियल के बारे में भी उन्होंने कहा।

हमारे पास मांग आयी है कि रामायण को पूरा किया जाय और उसे कुछ और बढ़ा कर दिखाया जाये । हमने रामानन्द सागर से बातचीत की है ।

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: There is opposition to 'Ramayan' in Kerala.

श्री एच० के० एल० भगत : मैं हाउस को भरोसा दिलाता हूं कि दूरदर्शन का भारतीय संस्कृति को प्रोजेक्ट करने के लिए पूरा इस्तेमाल किया जायगा और अगर कहीं गलती होगी तो उसे सुधारा जाएगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, यह जो आश्वासन माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, यह तो सरकार का बहुत पुराना आश्वासन है । बावजूद इसके इस प्रकार की फिल्म क्यों दिखायी गयी ?

श्री एच० के० एल० भगत: यह आश्वासन पहले दिया गया था और इस आश्वासन के बाद स्वयं माननीय सदस्य ने कहा है और आपने भी कहा है कि बहुत कुछ अच्छी चीजें आई हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है । टी० वी० के प्रोग्रामों में, इंडियन कल्चरल में सुधार हुआ है और एक चीज और कहूंगा आप बुरा न मानें कि भारतीय कल्चर के मापदण्ड के हिसाब से भी कोई चीज अच्छी है, बुरी है, किसी को पसंद आती है या नहीं इसमें भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है ।

SHRI DIPEN GHOSH: Have you seen the film 'Heat and Dust'?

श्री एच० के० एल० भगत : चित्रहार के समय एक बार मैं जब जयपुर में था तो एक बूढ़े आदमी ने कहा कि हम नहीं देख सकते इसको बन्द कीजिए और नौजवान छात्र जो वहां बैठे थे उन्होंने कहा कि इस बूढ़े की बात पर बन्द न कीजिए हम देखना चाहते हैं । तो जैसा मैंने कहा मापदण्ड अलग-अलग हैं । लेकिन जैसे मैंने पहले कहा हमने बहुत सुधारा है, और भी सुधारेंगे । श्री वर्मा जो बता दें जिस किस्म से वह चाहते हैं, वह भी करेंगे ।

श्रीमती वीणा वर्मा : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि दूरदर्शन के लिए भारतीय संस्कृति की परिभाषा क्या है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : अब आप भी हीट एण्ड डस्ट देखोगे, क्या करोगे ।

श्रीमती वीणा वर्मा : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि भारतीय संस्कृति की परिभाषा क्या है और अश्लीलता की परिभाषा क्या है और दूसरा "बी" पार्ट मेरे वक्तव्य का यह है कि जो एडल्ट फिल्में दिखाई जाती हैं उसमें एक केप्शन दिखाया जाता है कि उसे 18 साल से कम उम्र के बच्चे न देखें, लेकिन क्या कोई सर्वे कराया गया है और सर्वे के बाद बड़े लोग उसे कितना देखते हैं और छोटे कितने देखते हैं । और यदि इन फिल्मों को अवयस्क बच्चे ही ज्यादा देखते हैं तो इन्हें दिखाने का क्या औचित्य है ? इन्हें बन्द क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं वीणा जी को बताना चाहता हूं कि जो भारतीय संस्कृति की परिभाषा के मुताबिक नहीं है उनको हम पंसद नहीं करते हैं, उसको अलाऊ नहीं करते हैं । आम तौर पर जो हमारी फैमिली के जनरल कल्चरल स्टेन्डर्ड के मुताबिक हो उसे हम पंसद करते हैं । दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि कोई सर्वे कराया गया है । तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सर्वे कराया गया है और यह प्राइवेट आरगेनाइजेशन से कराया गया है और यह बात गलत नहीं है कि जिन लोगों ने देखा उनमें 15 साल के लोगों ने भी देखा, वह ज्यादा पसन्द करते हैं । और एक बात मैं और बता दूं कि रात को जो फिल्में दिखाई जाती हैं, मैं एक बात और साफ कर दूं कि जो फिल्में सन्डे को पांच बजे दिखाई जाती हैं उनमें हमने उनको कहा है कि उनमें जरा ध्यान रखें कि कुछ मैसेज हो और उसके साथ-साथ कुछ पापुलर फिल्म हो जो लोग पसंद करते हैं इसके लिए हमने जो वैल-नोन डायरेक्टर्स हैं उनको एप्रोच किया है ताकि क्वालिटी रहे और व्यूवर्स अच्छ रहें । रात को जो फिल्में दिखाई जाती हैं उसमें कुछ सिनेमेटिक वल्यू, कुछ मैसेज, कुछ और ख्याल से दिखाई जाती हैं । उन्हें कुछ बड़े लोगों ने भी देखा है ।

श्री सभापति : क्वश्चन नम्बर 45 । .... **(व्यवधान)** .... आप सब बुजुर्ग लोग हैं आपको मालूम है और आप ही कहते हैं कि ज्यादा सवाल आने चाहिए। अब 'हीट एण्ड डस्ट' में बुजुर्ग लोग भी इतने लिप्त हो जाएंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी । ....**(व्यवधान)**

श्री राम चन्द्र विकल : आप इस पर आधे घंटे की बहस कीजिए ।

SHRI A. G. KULKARNI: Older people have young hearts. You must know that, Sir.

श्री राम चन्द्र विकल : सभापति जी हमने अनेक पत्र लिखे हैं, सूचना मंत्री जी गवाह हैं, पब्लिक से इस बारे में शिकायत आई है लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ ।

श्री सभापति : आप उनसे अलग से बात कर लीजिए । ...**(व्यवधान)**

श्री राम चन्द्र विकल : जो फिल्म गांधी जी की है वह नहीं दिखायी जाती तो दूसरी फिल्में क्यों मंजूर कर ली जाती है ? अनेक बार हमने इस बारे में कहा है, लिखकर शिकायत की है । खराब फिल्में क्यों दिखाई जाती है, क्यों मंजूर की जाती हैं ?

श्री सभापति : आपको इस तरह डिस्टर्ब नही करना चाहिए । अब आप बैठ जाइये ।

श्री राम चन्द्र विकल : आधे घंटे की बहस दे दीजिए इस पर ... **(व्यवधान)**

श्री सभापति: आप मांग लीजिए,हम देखेंगे ।

Question No. 45.

SHRI M. A. BABY: Sir, there should be a late night discussion on this.

SHRI V. NARAYANASAMY: We want a half-an-hour discussion on this.

*44. *[Transjerred to the 2nd August,* 1988]

Computerisation of Employment Ex-changes

*45. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have decided to computerise all the Employment Exchanges in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) the time by when the task will be completed; and

(d) to what extent the manipula tions presently done by the Employ ment Exchanges are likely to be routed out?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) to (d) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

Government feels that computerisation is necessary in order to effectively tackle the problems arising out of the rapid increase in the work load of the exchanges and inadequate staff and other resources like space leading to deterioration in the quality of service rendered to the job-seekers and employers. In January, 1984, the Government of India emphasized upon the State Governments to computerise the empolyment exchange operations to improve the quality of service. As a result, some of the State Governments initiated steps to computerise a few of the employment exehanges on a selective basis.

In order to 6peed up the process of computerisation the Central Government introduced with effect from 1986-87, a Centrally Sponsored Scheme for providing financial assistance to the State Governments for computerisation of Employment Ex-changes. Under this scheme, Central Assistance is provided to the States on a 50:50 matching basis subject to a ceiling of Rs. 1 lakh, for computerisation of employment exchanges having one lakh or more registrants on their Live Register (either individually or a group of employment ex-changes combined together) for acquiring computer hardware and software. During 1986-87, such assis tance was provided in computerisa tion of 14 employment exchanges During 1987-88 another 14 employ ment exchanges were covered unde this scheme. It is not possible to any time limit to computerise all the 6**36** employment exchanges in the